रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 9023/2018

परसा केंट कोलियरीज लिमिटेड - अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड - प्रत्यर्थी

निर्णय

एम. आर. शाह, न्यायाधीश

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर की वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय/उच्च न्यायालय की खंडपीठ के डी.बी. सिविल विविध अपील संख्या 3785/2017 में दिनांक 28.02.2018 को पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट महसूस करते हुए अपीलकर्ता मूल दावेदार-पारसा केंट कोलियरीज लिमिटेड ने वर्तमान अपील को प्रस्तुत किया है। आक्षेपित निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड वर्तमान प्रत्यर्थी द्वारा की गई कथित अपील को स्वीकार किया है और विद्वत मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट को रद्द किया गया है ।

2. मार्च, 2006 के महीने में, प्रत्यर्थी ने कोयला ब्लॉक विकास के साथ खनन और परिवहन और सुपुर्दगी करने के लिए संयुक्त उद्यम के रुप में एक

निविदा जारी की । अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) ने एक बोली प्रस्तुत की जिसे 12.05.2006 को स्वीकार कर लिया गया। प्रत्यर्थी द्वारा एईएल को एक आशय पत्र 23.10.2006 को जारी किया गया था । प्रत्यर्थी और एईएल ने एक संयुक्त उद्यम में परसा केंटे कोलियरीज लिमिटेड के नाम से प्रवेश किया, जो इस मामले में अपीलार्थी है। कथित परसा केंट कोलियरीज लिमिटेड और एईएल के बीच एक कोयला खनन सेवा समझौता किया गया था कि कोयले की आपूर्ति के लिए अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच एक कोयला खनन और वितरण समझौता (जिसे इसमें इसके बाद 'सीएमडीए'कहा गया है) 16 जुलाई, 2008 को निष्पादित किया गया था।

2. 1 सीएमडीए के अनुसार संविदा प्रारंभ करने की तारीख 25.06.2011 थी।सीएमडीए के अनुसार अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच कोयले की आपूर्ति 42 महीनों के भीतर या कोयला ब्लॉकों के आवंटन की तारीख से 48 महीनों के भीतर अर्थात 25 जून, 2011 तक शुरू होनी थी। सीएमडीए ने इसके शुरू होने की तारीख बढ़ाने के लिए एक प्रावधान भी किया है। सीएमडीए के खण्ड 3.2.1 में कार्य की गुंजाइश के लिए प्रावधान किया गया है। खण्ड 4.1.3 और 4.1.4 में कोयले की आवश्यकता के बारे में अपीलकर्ता को अग्रिम रूप से सूचित करने के लिए प्रत्यर्थी की जिम्मेदारी का प्रावधान किया गया । खण्ड 4.5 में तारीख के प्रारंभ के लिए उपबंध किया गया है, खंड 5.1 में कीमत की संविदा के लिए उपबंध किया गया है खंड 5.2.2मूल मूल्य की गणना के लिए प्रावधान किया गया है। खंड 5.4.3 में मूल्य वृद्धि के लिए प्रावधान किया गया है । खंड 7.1 में अप्रत्याशित घटना के लिए प्रावधान किया गया है और खंड 7.3 में अप्रत्याशित घटना के प्रभाव के लिए प्रावधान किया गया है। वन क्लीयरेंस और पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त करने में 21 महीने की देरी हुई। अपीलकर्ता ने 25 मार्च, 2013 से प्रत्यर्थी को कोयले की आपूर्ति शुरू की, यानी, 21 महीने की देरी के बाद। ऐसा प्रतीत होता है कि यह तिथि आपसी

सहमति से 25.06.2011 से बढ़ाकर 25.03.2013 कर दी गई थी। हालांकि, पक्षों के बीच कुछ विवाद पैदा हुए, विशेष रूप से मूल्य वृद्धि, निर्धारित लागत, एस्क्रो खाते में पड़ी राशि और रेलवे साइडिंग के निर्माण की लागत के संबंध में। इसलिए, अपीलकर्ता ने सीएमडीए के खंड 10.2का आह्वान किया और मध्यस्थता की मांग की। राजस्थान उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था।अपीलकर्ता ने दावे का स्टेटमेंट प्रस्तुत किया और उसके बाद दावे का एक और स्टेटमेंट प्रस्तुत किया ।

2. 2 विद्वत मध्यस्थ के समक्ष, दावे को चार शीर्षों में विभाजित किया गया था, अर्थात् (1) मूल्य समायोजन लाभ (2) नियत लागत लाभ (3) एस्क्रो खाता लाभ और (4) रेलवे साइडिंग का निर्माण। विद्वत मध्यस्थ ने 'मूल्य समायोजन', 'नियत लागत'और 'एस्क्रो खाता'शीर्षों के तहत दावों की अनुमति देते हुए एक अधिनिर्णय दिनांक 27.05.2015 को पारित किया और 'रेलवे साइडिंग का निर्माण'शीर्षक के तहत दावे को अस्वीकार कर दिया।'मूल्य समायोजन'शीर्ष के तहत दावे की अनुमति देते हुए, विद्वत मध्यस्थ ने निर्णय दिया कि खंड 5के प्रयोजनों के लिए प्रथम प्रचालन वर्ष के प्रारंभ की तिथि खंड 5.2.2 सपठित 5.4.3 के तहत25.06.2011 तक होगी। विद्वत मध्यस्थ ने आगे अभिनिर्धारित किया कि इस प्रकार मूल्य वृद्धि के प्रयोजन के लिए शून्य वर्ष 2011-12 होना चाहिए। विद्वत मध्यस्थ ने तदनुसार निर्णय दिया कि चूंकि मूल्य वृद्धि के उद्देश्य से समझौता शुरू करने की तिथि 25.06.2011 है, इसलिए अपीलकर्ता बढ़ी हुई राशि का हकदार होगा जैसा कि 2013-2014 में लागू था। तदनुसार, विद्वत मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता वित्त वर्ष 2013-14 में रु. 837/- पीएमटी पर कोयला मूल्य का हकदार है और उसके बाद अनुबंध-सीएमडीए के प्रासंगिक खंडों के अनुसार बाद के वर्षों में बढ़ी हुई कीमत।

2. 3 यह कि 'नियत लागत'के संबंध में दावे की अनुमति देते हुए, विद्वत मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी अपीलकर्ता से कोयले की अपेक्षित सुपुर्दगी नहीं ले सकता था, इस प्रकार अपीलकर्ता को नुकसान होता था.विद्वत मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया कि इसलिए अपीलकर्ता मुआवजे का हकदार है जैसा कि 78 करोड़ रुपये के लिए दावा किया गया है.

2. 4 कि 'एस्क्रो अकाउंट'के संबंध में दावे की अनुमति देते हुए, विद्वत मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता द्वारा दिया गया उपक्रम एक आकस्मिक स्थिति तक सीमित था जहां अपीलकर्ता द्वारा खान बंद करने की गतिविधि को पूरा करने में विफल रहने के कारण एस्क्रो अकाउंट में जमा किसी भी राशि को जब्त कर लिया गया था, प्रत्यर्थी अपीलकर्ता के मासिक चल बिलों से इसे वसूल करने का हकदार होगा.विद्वत मध्यस्थ ने कहा, हालांकि, ऐसा कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए कथित गणना पर किसी भी कटौती का सवाल ही नहीं उठता है. नतीजतन, विद्वत मध्यस्थ ने प्रत्यर्थी को वह राशि लौटाने का निर्देश दिया जो एस्क्रो खाते में पड़ी थी, जो अपीलकर्ता के मासिक चल बिलों में से काट ली गई थी.

2. 5 जैसा कि इसमें ऊपर कहा गया है, विद्वत मध्यस्थ ने दावा नं.4 को खारिज किया, जिसका शीर्षक 'रेलवे साइडिंग का निर्माण'है। विद्वत मध्यस्थ द्वारा घोषित अधिनिर्णय की पुष्टि विद्वत वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की खंड 34के तहत एक आवेदन में की गई.

3 व्यथित महसूस करते हुए, प्रत्यर्थी ने जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय/पीठ के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत एक अपील को प्राथमिकता दी। दिनांक 28.02.2018 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त

अपील को स्वीकार कर लिया है और विद्वत मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट को रद्द कर दिया है और वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।

4. उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, मूल दावेदार-अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की है।

5 श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए हैं और श्री तुषार मेहता, भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित हुए हैं।

5.1 अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय को विद्वान एकमात्र मध्यस्थ और विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 सीएमडीए को एक वैकल्पिक संरचना देकर। यह दृढ़ता से प्रस्तुत किया गया है कि विवादित निर्णय और आदेश पारित करके, उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है, जिसकी पुष्टि वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा की गई है।

5. 2 अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि माध्यस्थम अधिनियम की खंड 37के तहत, मध्यस्थता जांच का दायरा संकीर्ण है और इसमें संविदा का अपना निर्माण करना शामिल नहीं है.यह निष्कर्षों को परेशान करके प्रस्तुत किया गया है,

उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम की खंड 37 के तहत अनुशंसित जांच के सीमित दायरे से आगे निकल गया है।

5. 3 अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ इस बात को समझने में विफल रही है कि सीएमडीए के खंडों पर विद्वत एकमात्र मध्यस्थ द्वारा की गई व्याख्या विश्वसनीय निर्माण/व्याख्या थी और इसलिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा इसे प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता था । अपनी उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, श्री रंजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता ने एसोसिएट बिल्डर्स बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण, (2015) 3 एससीसी 49 और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम गुप्ता ब्रदर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, (2009) 10 एससीसी 63 में रिपोर्ट किए गए और सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के मामले में इस न्यायालय के हाल के निर्णय, 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी677 में रिपोर्ट किए गए 2019 की दीवानी याचिका सं 4779 में 08.05.2019 को दिए गए फैसले पर बहुत भरोसा किया है।

5. 3.1 अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि निस्संदेह कोयले की आपूर्ति में 21 महीने की देरी हुई थी, जो अप्रत्याशित स्थिति के कारण थी क्योंकि वन क्लीयरेंस और पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त करने में देरी हुई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 2008 में अपीलकर्ता द्वारा वर्ष 2011 में भुगतान करने के लिए सहमत की गई कीमत वर्ष 2013-14 में कभी भी समान नहीं रहेगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि सीएमडीए के अनुसार प्रारंभ की तारीख को अप्रत्याशित घटना के स्वीकृत तथ्य के कारण 25.03.2013 तक बढ़ा दिया

गया था, प्रारंभ की तारीख सीएमडीए के तहत परिभाषित तिथि, अर्थात् 25.06.2011 के रूप में बनी रहेगी और इसलिए उस तिथि से मूल्य वृद्धि पर विचार किया जाना चाहिए।

5. 3.2 अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि आपसी सहमति से प्रारंभ की तारीख को बल संकट के एक स्वीकृत तथ्य के कारण 25.03.2013 तक बढ़ा दिया गया था, फिर भी उसी मूल्य पर कोयले की आपूर्ति करने का कोई समझौता नहीं था जिसकी आपूर्ति वर्ष 2011 में की जानी थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक विशिष्ट खंड 4.5.2 है, जो अप्रत्याशित स्थिति के मामलों में प्रारंभ की तारीख के विस्तार की अनुमति देता है, तथापि, खंड 5.4.3 में ऐसा कोई उपबंध नहीं किया गया है। जो मूल्य वृद्धि के लिए एक खंड है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि पार्टियों का इरादा कभी भी एकतरफा रूप से खंड 5.2.2. में निर्दिष्ट पहले संचालन वर्ष का विस्तार नहीं करना था. यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए मूल्य वृद्धि को अनिवार्य रूप से अनुबंध की निर्धारित तिथि से लागू किया जाना चाहिए, जो कि 25.06.2011 है ।

5. 3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में विद्वत मध्यस्थ द्वारा व्याख्या तर्कसंगत थी और इस प्रकार न्यायसंगत भी थी.केवल इसलिए कि कुछ अन्य दृष्टिकोण संभव था, उच्च न्यायालय विद्वत एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दर्ज की गई व्याख्याओं/निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में न्यायोचित नहीं है और वह भी मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए. यह प्रस्तुत किया जाता है कि दावा नं. 1के संबंध में सीएमडीए के प्रासंगिक खंडों की व्याख्या वास्तव में सीएमडीए के प्रासंगिक खंडों के अनुरूप थी. यह प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए उच्च न्यायालय ने विद्वत मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट में हस्तक्षेप करने में गलती की है, जिसकी पुष्टि विद्वत वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा की गई है.

5.4 अब जहां तक दावा सं. शीर्ष 2 के तहत 'निश्चित लागत'का संबंध है, श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सीएमडीए के खंड 8.2 (iii) पर बहुत भरोसा किया है। यह अनुरोध किया जाता है कि प्रत्यर्थी की ओर से चूक के कारण, प्रत्यर्थी वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कोयले की सुपुर्दगी लेने में असमर्थ था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी द्वारा चूक की एक घटना थी जैसा कि सीएमडीए के खंड 8. 2 (iii) में अनुध्यात है.

5. 4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्धारित सुपुर्दगी अनुसूची के अनुसार कोयले को लेने में प्रत्यर्थी की असमर्थता के कारण, अपीलकर्ता को अपने संयंत्र को एक उप-इष्टतम स्तर पर संचालित करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप नियत लागत का वहन करना पड़ा.यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोयला उत्पादन के तीन महीने के भीतर उठाया जाना अनिवार्य था ताकि स्वतः दहन को रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि संयंत्र को कोई खतरा न हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बावजूद, प्रत्यर्थी सुपुर्दगी लेने में विफल रहा ।

5.4.2 अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने कथित दावे को इस आधार पर मंजूर नहीं करके एक त्रुटि की है कि हानि एएमपीएल (उप-ठेकेदार) द्वारा कोयला खनन सेवा समझौते के तहत उपगत की गई थी, जिसमें प्रत्यर्थी एक पक्ष नहीं था और दूसरा यह कि 78 करोड़ रुपये की हानि चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाण पत्र से परे प्रमाणित नहीं है. यह आगे अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि सीएमडीए एक उप-ठेकेदार के रूप में एएमपीएल की नियुक्ति को प्रतिबंधित नहीं करता है और वास्तव में ऐसी किसी भी नियुक्ति को अपीलकर्ता द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसलिए एएमपीएल को सीएमडीए का पूर्ण तीसरा पक्ष नहीं कहा जा सकता है. यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए

जब प्रत्यर्थी कोयले की निर्धारित मात्रा उठाने में विफल रहा और वित्त वर्ष 2013-14 के लिए कोयले की डिलीवरी लेने में देरी हुई, तो अपीलकर्ता 78 करोड़ रुपये की सीमा तक नुकसान का हकदार होगा.यह प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए उच्च न्यायालय ने कथित दावे को अस्वीकार करने में एक गंभीर गलती की है।

5. 5 अब तक दावा सं.3 'एस्क्रो अकाउंट'शीर्ष के अंतर्गत, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने गलती से यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी एस्क्रो अकाउंट में किए गए भुगतान के लिए अपीलकर्ता के बिलों से कटौती करने का हकदार था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार विद्वान एकमात्र मध्यस्थ सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि खानों को बंद करने का चरण नहीं आया था और इसलिए एस्क्रो खाते में भुगतान करने के लिए कटौतियां समय से पहले थीं.यह प्रस्तुत किया जाता है कि कटौती का मुद्दा खनन संयंत्र के बंद होने के समय 30 वर्षों के गुजरने के बाद ही उत्पन्न होगा। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एस्क्रो खाते में जमा राशि कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कारण उत्पन्न हुई थी, जो सीएमडीए के निष्पादन के बाद थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए कोयला मंत्रालय द्वारा जारी कथित परिपत्र सीएमडीए के लिए पक्षकारों को बाध्य नहीं करेगा। यह प्रस्तुत किया जाता है इसलिए उच्च न्यायालय ने दावा संख्या 3 को खारिज करने में गंभीर त्रुटि की है।

5. 6 उपर्युक्त प्रस्तुतियों को करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील को मंजूर करने के लिए प्रार्थना की जाती है।

6. श्री तुषार मेहता, भारत के विद्वत सॉलिसिटर जनरल ने वर्तमान अपील का विरोध करते हुए, जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों

और परिस्थितियों में और यह पाया गया है कि विद्वत वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विद्वत एकमात्र मध्यस्थ द्वारा किए गए दावे, सीएमडीए के प्रासंगिक खंडों के ठीक विपरीत थे, उच्च न्यायालय विद्वत मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट को उलट देने में उचित है, जिसकी पुष्टि विद्वत वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा की गई है।

6. 1 विद्वत सॉलिसिटर जनरल द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि कानून के स्थापित प्रस्ताव के अनुसार, विद्वत मध्यस्थ अनुबंध की शर्तों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है और/या अनुबंध के प्रासंगिक खंडों की व्याख्या नहीं कर सकता है, जो अनुबंध के प्रासंगिक खंडों को अमान्य बना देगा. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनिर्णय, सीएमडीए के स्पष्ट और स्पष्ट प्रावधानों के पूर्ण उल्लंघन में खड़ा होकर, भारत की सार्वजनिक नीति के विरोध में है.यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी के अनुसार, प्रारंभ की तारीख के संबंध में, केवल एक ही संभावित व्याख्या थी जिसे विद्वत मध्यस्थ द्वारा स्वीकार किया जा सकता था.यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि, विद्वत मध्यस्थ द्वारा समर्थन की गई व्याख्या, इसके समर्थन में किसी भी तर्क से रहित होने के अलावा, सीएमडीए की शर्तों और पक्षकारों के आचरण के साथ पूरी तरह से असंगत है.यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी पुरस्कार, सीएमडीए के स्पष्ट और स्पष्ट प्रावधानों के पूर्ण उल्लंघन में खड़ा होकर, भारत की सार्वजनिक नीति के साथ संघर्ष में है और इसलिए इसे रद्द किया जा सकता है.अपनी उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने ओएनजीसी बनाम सॉ पाइप्स लिमिटेड, (2003) 5 एससीसी 705 में रिपोर्ट किए गए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम फ्रेंड्स कोल कार्बनाइजेशन, (2006) 4 एससीसी 445 और एसोसिएट बिल्डर्स बनाम डीडीए, (2015) 3 एससीसी 49 में रिपोर्ट किए गए खंड में इस न्यायालय के मध्यस्थता पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

6. 2 अब तक दावा सं.अर्थात्, मूल्य वृद्धि का संबंध है, यह श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि "प्रारंभ तिथि"शब्द को समझौते में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ खंड 4.5.1 में दिया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड 4.5.3 के अनुसार प्रारंभ होने की तारीख संविदा का सार है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सीएमडीए के प्रासंगिक खंडों के अनुसार, शुरुआत की तारीख विस्तारणीय थी और वास्तव में आपसी समझौते के साथ इसे 25.03.2013 तक बढ़ा दिया गया था.यह प्रस्तुत किया जाता है कि 'प्रारंभ की तारीख'शब्द को उस तारीख के रूप में परिभाषित किया गया है जिस तारीख को कोयले की वास्तविक आपूर्ति शुरू होती है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, निश्चित रूप से, कोयले की आपूर्ति की तारीख 25.03.2013 है, और इसलिए, अपीलकर्ता शुरुआत की तारीख, अर्थात्, 25.03.2013 से 12 महीने पूरे होने के बाद ही मूल्य में वृद्धि का हकदार होगा.यह सीएमडीए के तहत प्रस्तुत किया जाता है, अपीलकर्ता प्रत्येक प्रचालन वर्ष में मूल्य में वृद्धि का हकदार है, बशर्ते कि पहला वृद्धि प्रारंभ होने की तारीख से 12 महीने के पूरा होने के बाद ही होगी, अर्थात 25.03.2013. यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार मूल्य में कोई भी वृद्धि कोयले की आपूर्ति शुरू होने की तारीख से जुड़ी हुई है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि कोयले की आपूर्ति योजना के अनुसार 25.06.2011 को शुरू की जाती है, तो पहला संचालन वर्ष 25.06.2011 से 31.03.2012 तक होता।तथापि, चूंकि कोयला आपूर्ति केवल 25 मार्च, 2013 को शुरू हुई थी, इसलिए प्रथम प्रचालन वर्ष 25 मार्च, 2013 से 31 मार्च, 2013 तक होना चाहिए था।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब शुरूआत की तारीख 25.06.2011 होगी तो पहली मूल्य वृद्धि वित्त वर्ष 2013-14 के लिए लागू होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि शुरूआत की तारीख 25.03.2013 निर्धारित की जाती है (जो वास्तव में आपसी

सहमति से बढ़ाई गई थी) तो पहली कीमत वृद्धि वित्त वर्ष 2014-15 में होगी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह खंड 5.4 से स्पष्ट है।सीएमडीए ने कोयले की आपूर्ति शुरू होने के बाद ही कीमतों में वृद्धि की थी और यह एक स्वीकृत तथ्य है कि कोयले की वास्तविक आपूर्ति 25 मार्च, 2013 को शुरू हुई थी।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि वित्त वर्ष 2013-14 के लिए मूल्य वृद्धि का कोई सवाल ही नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए विद्वत मध्यस्थ द्वारा पारित अधिनिर्णय सीएमडीए के प्रासंगिक खंडों के बिल्कुल विपरीत था. और इसलिए इसे उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से रद्द कर दिया गया है।

6. 3 आगे भारत के विद्वत सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में प्रत्यर्थी ने नियत मात्रा की पूरी मात्रा उठा ली और इसलिए कोई हानि नहीं हुई और वास्तव में अपीलकर्ता कोयले को उठाने में देरी और/या कोयले की हानि की मात्रा को उठाने के कारण हुई वास्तविक हानि के संबंध में कोई सबूत पेश करने में विफल रहा, जितना वे सहमत थे.उच्च न्यायालय द्वारा इसे दरकिनार करना उचित है।

6. 4 प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी प्रकार उच्च न्यायालय ने उचित रूप से एस्क्रो खाते के संबंध में दावे को अपास्त कर दिया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार कोयला मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार एस्क्रो खाता खोलना आवश्यक था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि, वास्तव में, अपीलकर्ता ने एस्क्रो खाता खोलने के लिए सहमति दी थी, जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार खोला जाना आवश्यक था.यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, वास्तव में अपीलकर्ता ने सहमति व्यक्त की कि धन उसके चल बिलों से वसूल किया जा रहा है जिसे एस्क्रो खाते में जमा किया जाना है.यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह भी खंड 3.2 के अनुरूप है.यह प्रस्तुत

किया जाता है, इसलिए उच्च न्यायालय ने उचित रूप से एस्क्रो खाते में किए गए कथित दावे को अस्वीकार कर दिया है.

6. 5 उपरोक्त प्रस्तुतियों को करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना की जाती है।

7. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

8. शुरुआत में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए विद्वत मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट को दरकिनार कर दिया है, जिसकी पुष्टि विद्वत वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा की गई है।

इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो छोटा सवाल उठाया गया है, वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का प्रभाग मध्यस्थता अधिनियम की खंड 37के तहत एक अपील में विद्वत वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विद्वत मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट में हस्तक्षेप करना उचित है?

9. पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर देते समय, इस न्यायालय के कुछ निर्णयों और विद्वत मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय की अधिकार क्षेत्र पर घोषित कानून पर विचार करना आवश्यक है.

9. 1 एसोसिएट बिल्डर्स (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय को मध्यस्थता अधिनियम की खंड 34 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायालय की अधिकार क्षेत्र पर विस्तार से विचार करने का अवसर मिला।पूर्वोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने माध्यस्थम् अधिनिर्णय में हस्तक्षेप करने की न्यायालय की

शक्ति की सीमा पर विचार किया है। यह पाया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल जब पंचाट भारत में सार्वजनिक नीति के विरोध में है, तो न्यायालय को मध्यस्थता पंचाट में हस्तक्षेप करना उचित होगा। पूर्वोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने भारत में सार्वजनिक नीति के विभिन्न शीर्षों पर विचार किया, जिसअन्य बातों के साथ साथ बातों के साथ-साथ पेटेंट अवैधता भी शामिल है।मध्यस्थता अधिनियम की खंड 28 (3) को निर्दिष्ट करने के बाद और मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक. बनाम बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, (2006) 11 एससीसी 181 (पैराग्राफ 112-113) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बनाम दीवान चंद राम सरन, (2012) 5 एससीसी 306 (पैराग्राफ 43-45) में रिपोर्ट किए गए मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने के बाद, यह माना गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, लेकिन यदि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण तरीके से अनुबंध की अवधि का अर्थ लगाता है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि इस आधार पर पंचाट को रद्द किया जा सकता है। आगे यह भी पाया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुबंध की शर्तों का निर्माण मुख्य रूप से एक मध्यस्थ के लिए है, जब तक कि मध्यस्थ अनुबंध का इस तरह से अर्थ नहीं निकालता है कि इसे कुछ ऐसा कहा जा सकता है जो कोई भी निष्पक्ष या तर्कसंगत व्यक्ति नहीं कर सकता है।पैरा 33 में पूर्वोक्त निर्णय में इस मध्यस्थता द्वारा आगे यह मत व्यक्त किया गया है कि जब कोई मध्यस्थता किसी माध्यस्थम् पंचाट के लिए “लोक नीति” परीक्षण लागू कर रहा है, तो यह अपील के मध्यस्थता के रूप में कार्य नहीं करता है और परिणामस्वरूप तथ्य की त्रुटियों को ठीक नहीं किया जा सकता है.तथ्यों पर मध्यस्थ द्वारा एक संभावित दृष्टिकोण आवश्यक रूप से पारित किया जाना चाहिए क्योंकि मध्यस्थ साक्ष्य की मात्रा और गुणवत्ता का अंतिम स्वामी है जिस पर वह

अपना मध्यस्थ पंचाट देता है.आगे यह भी कहा गया है कि इस प्रकार छोटे साक्ष्य या साक्ष्य के आधार पर, जो प्रशिक्षित कानूनी बुद्धि के लिए गुणवत्ता में मापा नहीं जाता है, कोई अधिनिर्णय इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा.

9.2 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, (2015) 14 एससीसी 21 (पैरा 25) और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम गुप्ता ब्रदर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, (2009) 10 एससीसी 63 (पैरा 29) में रिपोर्ट किए गए मामलों में इस न्यायालय द्वारा भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया गया है।

10. इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को लागू करते हुए, हमें यह जांच करनी होगी कि क्या उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अपने समक्ष आक्षेपित माध्यस्थम पंचाट को अपास्त करने में अपनी अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है।

11. सुविधा के लिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा दावावार पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश पर विचार करेंगे।पहला दावा मूल्य समायोजन/वृद्धि के संबंध में है, दूसरा दावा निश्चित लागत के संबंध में है और तीसरा दावा एस्क्रो खाते के संबंध में है।

11.1 अब जहां तक मूल्य समायोजन/वृद्धि के संबंध में दावे का संबंध है, विद्वत मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया कि प्रथम प्रचालन वर्ष के प्रारंभ की तारीख खंड 5.2.2 सपठित 5.4.3 के प्रयोजन से 25-06-2011 है और इसलिए मूल्य वृद्धि के उद्देश्य से शून्य वर्ष 2011-12 होना चाहिए। तदनुसार, विद्वान मध्यस्थ ने वित्तीय वर्ष में बढ़ी हुई कीमत पर विचार किया। 2013-14 में रु.895/-प्रति मीट्रिक टन। हालांकि, प्रत्यर्थी के अनुसार, चूंकि प्रारंभ की तिथि 25.06.2011 से बदलकर 25.03.2013 कर दी गई थी, मूल्य वृद्धि के

उद्देश्य के लिए शून्य वर्ष 2013-14 होगा। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह विवाद में नहीं है कि अनुबंध/समझौते के तहत मूल्य वृद्धि की अनुमति है और प्रारंभ होने की तारीख से प्रत्येक वर्ष समझौते में उल्लिखित फार्मूले के अनुसार मूल्य वृद्धि होगी।तथापि, यह सही है कि शुरूआत की प्रारंभिक तारीख अर्थात 25.06.2011 को आपसी सहमति से 25.03.2013 तक बढ़ा दिया गया था।हालांकि, यह अप्रत्याशित घटना के कारण था क्योंकि वन मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में 21 महीने की देरी हुई थी। यह मूल्य वर्ष 2007-08 में उद्धृत किया गया था, जो 2011 से लागू है। हालांकि, वन क्लीयरेंस और पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त करने में देरी हुई और इसलिए आपूर्ति शुरू करने की तारीख बदल दी गई। बीच-बीच में श्रम शुल्क, परिवहन शुल्क आदि में वृद्धि होगी। हालांकि आपूर्ति शुरू होने की तिथि बढ़ा दी गई थी, लेकिन मूल्य वृद्धि के संबंध में समझौते के प्रासंगिक खंडों में कोई समान संशोधन नहीं किया गया था।ऐसा कोई विशिष्ट समझौता नहीं था कि वर्ष 2013 में, अपीलकर्ता बिना किसी मूल्य वृद्धि के, उसी मूल्य पर कोयले की आपूर्ति करेगा। इसलिए, मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और प्रासंगिक 22 कारणों को देते हुए, विद्वत मध्यस्थ ने अनुबंध के प्रासंगिक खंडों की व्याख्या की और विशेष रूप से यह निर्णय दिया कि 5.4.3 के साथ पढ़े गए खंड 5.2.2 के उद्देश्यों के लिए पहले परिचालन वर्ष के शुरू होने की तारीख 25.06.2011 होगी और तदनुसार मूल्य वृद्धि के उद्देश्य के लिए शून्य वर्ष 2011-12 होगा और इसलिए अपीलकर्ता बढ़ी हुई राशि का हकदार होगा जैसा कि वर्ष 2013-14 (मूल्य वृद्धि) में लागू होता है।विद्वत मध्यस्थ द्वारा दिए गए तर्क पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि विद्वत मध्यस्थ द्वारा व्याख्या संभव और विश्वसनीय दोनों थी। इसलिए, केवल इसलिए कि कुछ अन्य दृष्टिकोण अपनाया जा सकता था, उच्च न्यायालय मध्यस्थ द्वारा की गई व्याख्या में हस्तक्षेप करने में

न्यायोचित नहीं है, जैसा कि कहा गया है कि यह संभव और विश्वसनीय था.इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने दावा नहीं करने के संबंध में विद्वत मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट में हस्तक्षेप करने में स्पष्ट रूप से अपनी अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है.1 मूल्य समायोजन/वृद्धि। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि हालांकि उच्च न्यायालय ने पाया है कि कोई दावा नहीं करने के संबंध में विद्वत मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट.1 लोक नीति के खिलाफ था, सम्मान के साथ, हम लोक नीति का कोई तत्व नहीं देखते हैं। यह समझौते के प्रासंगिक खंडों की व्याख्या का शुद्ध और सरल मामला था जिसमें कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं थी.इसलिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा दावा नहीं करने के संबंध में विद्वत मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट को रद्द करने और रद्द करने के लिए पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश.1-मूल्य समायोजन/वृद्धि को बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए और अलग रखा जाना चाहिए।

11. 2 अब तक दावा सं.2-'नियत लागत'और नुकसान के मुआवजे के संबंध में विद्वत मध्यस्थ द्वारा अधिनिर्णीत 78 करोड़ रुपये की राशि का संबंध है, रिकॉर्ड पारित प्रासंगिक सामग्री को देखने के बाद, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने दावा नं.2. सीए के प्रमाण पत्र के अलावा, वास्तविक नुकसान के संबंध में कोई और साक्ष्य सामने नहीं आया था।रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करते हुए, यह इसके विपरीत पाया गया है कि संबंधित वर्ष में प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए कोयले की मात्रा निर्धारित मात्रा से बहुत अधिक थी.इस प्रकार, विद्वत मध्यस्थ पारित दावा नं.2 अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत था और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अपास्त किया गया है.

11.3 इसी प्रकार, दावा सं.3 'एस्क्रो अकाउंट'का संबंध है, उच्च न्यायालय ने दावा नहीं करने के संबंध में विद्वत मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट में उचित

रूप से हस्तक्षेप किया है.3 है।यह ध्यान देने योग्य बात है कि कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार खानों को बंद करने के संयंत्र की तैयारी के लिए एस्क्रो खाता खोलना आवश्यक था।अन्य बातों के साथ-साथ दिशा-निर्देशों के अनुसार खनन कंपनी को किसी भी अनुसूची बैंक अन्य बातों के साथ साथ एस्क्रो खाता खोलना आवश्यक था।तदनुसार, प्रत्यर्थी ने एक एस्क्रो खाता खोला और एक एस्क्रो समझौता निष्पादित किया.पक्षकारों के बीच पत्राचार से, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने भी एस्क्रो खाता खोलने के लिए सहमति व्यक्त की थी.अपीलकर्ता इस बात पर भी सहमत था कि प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी पीकेसीएल के कोयला बिलों के तत्काल अगले भुगतान से एस्क्रो खाते में जमा की जाने वाली राशि की वसूली की जाएगी, जो अपीलकर्ता के कोयला ब्लॉकों से कोयला भेजने की दिशा में उठाया गया था.इस प्रकार, उसके बाद अपीलकर्ता के लिए एस्क्रो खाते में पड़ी राशि का दावा करना खुला नहीं था। यदि एस्क्रो खाते में पड़ी राशि अपीलकर्ता को वापस कर दी जाती है, तो एस्क्रो खाता खोलने का उद्देश्य और उद्देश्य विफल हो जाएगा जो कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार था। एस्क्रो खाता खोलने का उद्देश्य और उद्देश्य यह देखना था कि अपीलकर्ता कंपनी समझौते के अनुसार और कोयला ब्लॉकों के बंद होने तक अनुबंध को पूरा करती है।इसलिए, उच्च न्यायालय ने दावा न 3 के संबंध में विद्वत मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट में उचित रूप से हस्तक्षेप किया है. यह देखते हुए कि तर्क विकृत या इतने अतार्किक हैं कि कोई भी उचित व्यक्ति अभिलेख पर सामग्री/साक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता है।हम उच्च न्यायालय की विद्वत खण्ड पीठ द्वारा लिए गए विचार से पूरी तरह सहमत हैं।

12. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपील आंशिक रूप से सफल होती है। विद्वत वाणिज्यिक न्यायालय

द्वारा पुष्टि किए गए विद्वत एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट को रद्द करने और रद्द करने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश, जहां तक दावा संख्या 1 मूल्य समायोजन/वृद्धि को रद्द और रद्द किया जाता है और दावा संख्या 1 के संबंध में विद्वत मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट को फिर से बहाल किया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश, जहां तक शेष दावों के संबंध में विद्वत मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट को रद्द करने और रद्द करने का संबंध है, अर्थात्, दावा नं.2 निर्धारित लागत और दावा सं.3 एस्क्रो खाते की एतद् द्वारा पुष्टि की जाती है। वर्तमान अपील को आंशिक रूप से केवल पूर्वोक्त सीमा तक ही अनुमति दी गई है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

न्यायाधीश [अरुण मिश्रा]

न्यायाधीश [एम. आर. शाह]

नई दिल्ली,

27 मई, 2019

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।